अध्याय–चार

स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण, नियम 267–क, नियम 139 तथा नियम 142–क के अधीन सूचनाएं एवं विशेषाधिकार के प्रश्न.

स्थगन ध्यान आकर्षण एवं नियम 267–क की सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया.

22. (1) विधान सभा सत्र की प्रथम बैठक के लिए स्थगन प्रस्ताव/ ध्यान आकर्षण एवं नियम 267–क के अधीन विषयों पर सूचना, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अनुसार पूरे चार कार्य दिवस पूर्व से ग्रहण की जाएगी. इस संबंध में विस्तृत सूचना पत्रक भाग–दो द्वारा जारी की जाएगी. नियत समय के पूर्व प्राप्त सूचना नस्तीबद्ध कर दी जायेगी.

(2) छत्तीसगढ़ विधान सभा नियमावाली के नियम 138 के अधीन ध्यान आकर्षण की सूचनाएं, सचिव को तीन प्रतियों में दी जायेंगी जो क्रमश: निम्नांकित में से प्रत्येक के लिये होंगी :–

1. अध्यक्ष,
2. संबंधित मंत्री, और
3. सचिव.

(3) प्रतिदिन पूर्वाह्न 9.00 के पूर्व प्राप्त समस्त ध्यान आकर्षण सूचनाओं में से जिस सूचना को अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य किया जायेगा उसकी सूचना सूचनालय में लगे हुए नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाया करेगी तथा उसे सभा में लिये जाने की तिथि नियत होने पर सचिवालय द्वारा उसकी सूचना संबंधित सदस्य को तथा मंत्री को दी जायेगी. अन्य समस्त प्राप्त सूचनाएं अग्राह्य समझी जायेगी. पूर्वाह्न 9.00 बजे के बाद प्राप्त समस्त सूचनाएं अगले दिन के लिये प्राप्त हुई मानी जायेंगी.

किसी सदस्य को उसकी ध्यान आकर्षण सूचना के चुने जाने के संबंध में सूचित न किये जाने की दशा में यह मानना चाहिए कि उसकी सूचना नहीं ली गई है इसके संबंध में कोई सूचना सदस्य को नहीं दी जायेगी.

(4) किसी सदस्य की ध्यान आकर्षण सूचना यदि अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य नहीं की गई है तो, वह यदि चाहे तो उस विषय पर अगले दिन के लिए पुन: सूचना दे सकेगा जिसे उस दिन के लिए प्राप्त समस्त सूचनाओं के साथ अध्यक्ष के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा.

(5) अध्यक्ष द्वारा चुनी गई ध्यान आकर्षण सूचनाएं अगले दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित की जायेंगी किन्तु यह कि अध्यक्ष स्वविवेक से किसी ध्यान आकर्षण की सूचना जो कि उसी दिन दी गई हो को अंत में ले सकें यदि अध्यक्ष उस विषय को इतना महत्वपूर्ण समझे कि उस पर वक्तव्य उसी दिन दिया जाये.

(6) सप्ताह की अंतिम बैठक के लिए लंबित सभी ग्राह्य सूचनाओं को कार्य-सूची में प्रविष्ट किया जाएगा और उनका क्रम निर्धारित करने के लिए शलाका निकाली जाएगी.

(7) केवल ऐसे सदस्यों के नाम शलाका में सम्मिलित किए जायेंगे जिन्होंने उस विषय पर ध्यान आकर्षण सूचना दी हो.

उपर्युक्त प्रक्रिया का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिये कि अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक बैठक के लिये ध्यान आकर्षण सूचना ग्राह्य ही की जायेगी क्योंकि ध्यान आकर्षण सूचनाओं की ग्राह्यता नियमों के निर्बन्धनों के अधीन होती है. तथा अध्यक्ष के निर्णय (Judgment) पर निर्भर करती है कि विषय इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर मंत्री द्वारा शीघ्र वक्तव्य दिया जाये.

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर संख्या सीमा.

(7) (क) कोई भी सदस्य किसी एक बैठक के लिये स्थगन प्रस्ताव की एक से अधिक सूचना नहीं देगा.

सूचनाओं की संख्या सीमा.

स्पष्टीकरण.- जहां किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर हों वहां यह समझा जायेगा कि ऐसी सूचना केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गई है.

(7) (ख) जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे नियम 139 एवं नियम 142-क के अधीन क्रमश: अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय तथा अल्पकालीन चर्चाओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा कि किसी सत्र में किसी सदस्य की अधिकतम दो सूचनाओं पर ही चर्चा रखी जा सके.

(8) नियमावली के नियम-53 के तहत प्राप्त स्थगन प्रस्तावों की ग्राह्यता पर सदन में निर्णय से पूर्व उसी प्रस्ताव की विषय-वस्तु को सदन में पढ़ा जायेगा जो सूचना सुस्पष्ट एवं अधिक तथ्यात्मक हो, भले ही वह सर्वप्रथम प्राप्त न हुई हो.

(9) ऐसी स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं जो विचारोपरांत ध्यान आकर्षण के रूप में परिवर्तित कर ग्राह्य की जाती हैं, उनमें भी उसी प्रस्ताव की विषय-वस्तु को दिया जायेगा जो सूचना अधिक तथ्यात्मक होगी और उस सूचना के प्रेषक का नाम प्रथम क्रम में दिया जायेगा.

(10) यदि ध्यान आकर्षण के रूप मे परिवर्तित स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण की सूचना के तथ्य लगभग एक ही प्रकार के हों, तो जिन माननीय सदस्यों की ध्यान आकर्षण की सूचना, स्थगन प्रस्ताव सूचना से पहले प्रस्तुत की गई हो, ऐसे सदस्यों के नाम पहले क्रम में दिये जायेंगे, प्रथम तीन के क्रम में यदि स्थगन प्रस्ताव के प्रेषणकर्ता का नाम आयेगा तो ही उसका नाम कार्यसूची में शामिल किया जायेगा अन्यथा नहीं.

(11) किसी विषय पर ध्यान आकर्षण की सूचना ग्राह्य होने पर भी अधिक तथ्यात्मक सूचना के प्रेषणकर्ता का नाम पहले दिया जायेगा. अन्य दो ध्यान आकर्षण प्रेषणकर्ता के नाम बाद में दिये जायेंगे. दूसरे और तीसरे क्रम में भी अधिक तथ्यात्मक सूचना देने वाले सदस्यों को ही प्राथमिकता दी जायेगी.

(12) एक ही विषय पर स्थगन प्रस्ताव एवं ध्यान आकर्षण सूचना प्राप्त होने की स्थिति में यदि स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की सम्मति प्रदान नहीं की गई है और ध्यान आकर्षण सूचना ग्राह्य की गई है तो मात्र ध्यान आकर्षण सूचना के प्रेषणकर्ताओं के नाम ही कार्यसूची में दिये जायेंगे. स्थगन प्रस्ताव प्रेषणकर्ताओं के नहीं, भले ही ध्यान आकर्षण प्रेषणकर्ता एक ही हो.

(13) किसी विषय पर ध्यान आकर्षण सूचना की ग्राह्यता की जानकारी, सूचना पटल पर लगाये जाने के बाद उसी विषय पर प्राप्त ध्यान आकर्षणा, स्थगन प्रस्ताव की सूचनाकर्ताओं के नाम कार्यसूची में शामिल नहीं किये जायेंगे.

(14) एक ही विषय पर ऐसी सूचना जो तथ्यों की कमी, एकाधिक विषय या अन्य किसी कारण से अग्राह्य हुई है अर्थात् विचाराधीन नहीं है, ऐसी सूचनाओं के प्रेषकों के नाम उसी विषय पर ग्राह्य सूचनाओं में नहीं जोड़े जायेंगे.

22-क. किसी सदस्य द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के उल्लंघन संबंधी प्रश्न को अध्यक्ष द्वारा कक्ष में अग्राह्य किये जाने पर तत्संबंधी जानकारी, सूचना देने वाले सदस्य तथा जिसके विरुद्ध विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न उठाया गया है, को दी जायेगी.

विशेषाधिकार के प्रश्न की अग्राह्यता की जानकारी संबंधित को दी जाना